

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 29 दिसम्बर, 2022

विषय: उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुक्कुट उत्पाद में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर (गैप) को पूर्ण कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातान्मुखी बनाने की दृष्टि से शासनादेश संख्या-2254/सैंतीस-2-2022-1(45)/12टीसी दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2022 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अंतर्गत निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं:-

1. योजना का नाम: 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई लागत	99.53 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	69.67 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	29.85 लाख
रोजगार सृजन	20 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रु० 22.40 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रु० 14.61 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

2. योजना का नाम: 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई पर कुल व्यय	256.69 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	179.69 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	77.00 लाख
रोजगार सृजन	60 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रु० 74.13 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रु० 37.71 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

3. योजना का नाम: 60000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई लागत	491.90 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	344.33 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	147.57 लाख
रोजगार सृजन	120 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रु० 159.06 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक 7% अथवा बैंक द्वारा	रु० 72.30 लाख

निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

4. योजना का नाम: 10000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट इकाई

इकाई लागत	रु0 289.07 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	रु0 202.34 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	रु0 86.72 लाख
रोजगार सृजन	1500 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रु0 97.93 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षों तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रु0 रु0 42.47 लाख अधिकतम
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

2- उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति, 2022 के अंतर्गत योजना के संचालन, पात्रता, भूमि आदि की आवश्यकता एवं अन्य प्रक्रियाओं का विवरण निम्नवत है:-

- (1) योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को मात्र एक योजना हेतु ही सम्मिलित किया जायेगा।
- (2) उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (3) उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2022 के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापो को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटेड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेंगे। इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिंग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।
- (4) योजना के लाभार्थी का प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। योजना में प्रथम बार आवेदन करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु ऐसे लाभार्थी जो उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति-2013 के अन्तर्गत मार्च 2013 से मार्च 2022 के मध्य लाभान्वित हुए हैं, वह इस योजना के पात्र इस शर्त के अधीन होंगे यदि उनके द्वारा योजना अवधि में कुल 30,000 पक्षी क्षमता की लेयर इकाई/इकाईयाँ अथवा 10,000 हजार क्षमता की ब्रायलर इकाई से अधिक का योजनान्तर्गत लाभ नहीं लिया गया है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत लाभार्थी/कृषक/उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम अनुमन्य होगी और अधिकतम एक परियोजना में ही लाभान्वित किया जायेगा।
- (5) योजनान्तर्गत 10 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 01 एकड़, 30 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 2.5 एकड़, 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 4 एकड़ एवं 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़ भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की लीज पर होना अनिवार्य है।
- (6) पक्षियों को पालने हेतु California Cage पद्धति अथवा किसी अन्य पक्षी अनुकूल पद्धति (Bird Friendly Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जिसके लिए मानकों का पालन अनिवार्य है।
- (7) कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिकतायें
- 7.1 सर्वप्रथम उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा (संलग्नक-प्रारूप-1 एवं 2) प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट-<http://animalhusb.up.nic.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात उद्यमी द्वारा समस्त प्रपत्रों को डेडीकेटेड पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। अपलोड किये जाने वाले प्रार्थना पत्र/प्रपत्रों के साथ प्रस्तावित भूमि की मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण निर्धारित संलग्न प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी। अपलोड किये गये प्रार्थना-पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षण जनपद स्तर पर गठित प्रीअप्रेजल सभिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं सदस्य सचिव, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होंगे।

- 7.2 पशुपालन निदेशालय स्तर पर उक्त समिति द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा बैंक की शाखाओं द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का गहन परीक्षण किया जायेगा जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उक्त समिति के अध्यक्ष योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा तकनीकी एवं वित्त विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।
- 7.3 पशुपालन निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण अप्रेजेल समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के परीक्षण के पश्चात परियोजना अनुमोदन समिति (जिसका गठन शासन द्वारा किया जायेगा) द्वारा प्रार्थना पत्रों पर परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त समिति के अध्यक्ष निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) होंगे तथा सदस्य सचिव योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा समिति में तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञ भी होंगे। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के अनुमोदन के पश्चात निदेशालय स्तर से लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा। अनुमोदन पश्चात उद्यमी के प्रार्थना-पत्र एवं जारी किये गये लेटर ऑफ कम्फर्ट को बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।
- 7.4 बैंक ऋण प्राप्त करने का समस्त दायित्व उद्यमी का होगा तथा इसके लिए उद्यमी द्वारा समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होंगी।
- 7.5 ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के अवमुक्त होने की सूचना संलग्न प्रारूप-3 पर बैंक द्वारा सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- 7.6 जनपदीय समिति द्वारा फार्म की स्थापना की प्रगति के कम से कम दो निरीक्षण किये जायेंगे।
- 7.7 उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति की मांग हेतु प्रत्येक त्रैमास में बैंक स्टेटमेन्ट की मूल प्रति मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए बजट की मांग मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास को प्रेषित की जायेगी। बैंक के स्टेटमेन्ट के परीक्षण के पश्चात धनराशि का भुगतान उद्यमी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।
- 7.8 उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय से भुगतान नहीं करता है तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही यदि लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय तक दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।
- 8 अन्य रियायतें एवं छूट
- 8.1 योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कुट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षों तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- 8.2 नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु कय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु बैंक गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा इस आशय का लिखित शपथ-पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति-2022 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा तथा एक वर्ष के अन्दर योजना को प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी स्टैम्प ड्यूटी की छूट की धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करनी होगी।
- 9 डेडीकेटेड पोर्टल एवं अनुश्रवण हेतु डाटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फौंसिलिटेशन सेन्टर
- 9.1 कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटेड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेंगे।
- इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिंग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के क्रियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त समस्त कार्य के लिए निदेशक, पशुपालन/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

- 9.2 इस नीति के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप हेतु डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना कार्यालय निदेशक/विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ में की जायेगी। यह केन्द्र विषय-विशेषज्ञों, (डोमेन एक्सपर्ट) के सहयोग से संचालित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में कम से कम एक पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर (योग्यता-बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच०/बी०एस०सी० ए०जी० एण्ड ए०एच०) जिनकी व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।
- 10 चयनित लाभार्थियों को कुक्कुट इकाई की स्थापना के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी कुक्कुट पालन की नवीन तकनीक की जानकारी हेतु भ्रमण कराया जायेगा।
- 3- इस संबंध में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-प्रारूप-1, 2, 3
एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

भवदीय,
(डॉ० राजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2505(1)/सैतीस-2-2022तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ०प्र० शासन।
- (6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (8) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- (9) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (10) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- (11) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ०प्र० शासन।
- (12) अधिशासी निदेशक, उद्योग बंधु, लखनऊ।
- (13) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
- (14) निदेशक, सूचना निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- (15) पशुधन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- (16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Department of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.
Uttar Pradesh Poultry Policy 2022

(शासनादेश संख्या-2254 / सैतीस-2-2022-1(45) / 2012टी0सी0-(ए)क0सं0-1659381
दिनांक 07 नवम्बर-2022)

Format For Submission of Scheme
Commercial Layer Farm (10000 Layer, 30000 Layer and 60000 Layer Birds)

1. Name of Firm/Entrepreneurs (All Partners)
2. Residencial Address (All Partners)
3. Contract Number and Email ID
4. Aadhar Number
5. Ration Card Number/Family ID
6. Address of the Proposed Farm
(With Longitude and Latitude)
7. Name of the sponsoring Bank
8. Address of the controlling office
sponsoring the scheme
9. Nature and objectives of
the proposed scheme
10. Details of proposed investments

S.No.	Investment	Type of Unit

11. Names of the financing Bank and branch

S.No.	Name of Branch	District

12. Status of beneficiary
(Individual/Partnership Firm/Others)

13. Details of borrower's profile

(a)	Capability	
(b)	Experience	
(c)	Financial Soundness	

(d)	Technical/Other Special Qualifications	
(e)	Technical/Managerial Staff and adequacy thereof	

Separate paper can be used for submitting information where ever necessary

DETAILS AS PER PROJECT REPORT

2. Technical Aspects

a) Detail of Land

i)	Location details of the project	
ii)	Name of Village, Plot No. & Total Area of land	
iii)	Site Map	
iv)	Particulars of land development, fencing gates etc	

b) Civil Structures

	Detailed cost estimates along with measurements of various civil structures	
	- Sheds for Birds	
	- Store room	
	- Dressing room	
	- Office room	
	- Quarters for staff	
	- Others	

c) Equipment/Plant and Machinery

i)	Feeders	
ii)	Waterers	
iii)	Generator	
iv)	Feed grinder and mixer	
v)	Debeaker	
vi)	Vaccinator	
vii)	Fridge/Deep Freezer	
viii)	Other equipment if necessary	
x)	Others	

d) Housing

i)	Type of housing	Deep Litter/California Cages
ii)	Area required (Sqft/bird)	

e) Birds

i)	No of birds to be purchased	
ii)	Source of purchase cost of bird	
iii)	Rs. per bird	
iv)	Vaccination of purchased birds	
v)	Proposed programme of replacement	

f) Production Parameters

i)	Standard Egg Production	
ii)	Feed efficiency (kg of feed/No of eggs produced)	
iii)	Mortality	

g) Bird placement shedule/Chart

Dates to be enclosed	
----------------------	--

h) Feeding

i)	Source of availability	Purchased or own feed
----	------------------------	-----------------------

		manufacturing
ii)	If Purchased a) Place of purchase b) Brand c) Cost (Rs. / kg) - Chick - Grower - Layer	
iii)	If manufactured on farm a) capacity of feed grinder and mixer b) source of raw material c) Feed Formula d) Cost of Production (Rs. /kg) - Chick -Grower -Layer	
iv)	Requirement (kg per bird) - Chick - Grower - Layer	

i) Veterinary Aid

i)	Source	
ii)	Location	
iii)	Distance (km)	
iv)	Availability of staff	
v)	Type of facilities available	
vi)	If own arrangements are made a) Employment a veterinary doctor/stockman/ consultant b) Periodicity of visit c) Amount Paid (Rs)	
vii)	Expenditure per bird per cycle (Rs)	

j) Electricity

i)	Source	SEB/Other
ii)	Approval from electricity board	
iii)	Connected load	
iv)	Problems of power failure	
v)	Arrangements for generator	

k) Water

i)	Source	
ii)	Quality of water	
iii)	Availability of sufficient quantity for drinking and cleaning	
iv)	If investment has to be made type of structure, design and cost	

l) Marketing of Eggs

i)	Source of sale	
ii)	Place of disposal	
iii)	Distance (km)	
iv)	Basis of payment (Number or weight)	

v)	Periodicity of payment	
----	------------------------	--

m) Marketing of Other products

i)	Manure - Qty/bird price per unit (Rs/Qt)	
ii)	Empty gunny bags Number and cost/bag	

n) Beneficiary experience

o) Comments on technical feasibility

p) Government restrictions if any

3. Financial Aspects

i) Unit Cost

SNo.	Name of Investment	Physical Unit and specification	Unit cost with component wise breakup (Rs)

ii) Down payment/margin

iii) Year wise physical & financial programme

Year	Investment	Physical unit	Unit Cost (Rs)	Total outlay (Rs)	Margin Money (Rs)	Bank loan (Rs)
1	2	3	4	5	6	7

iv) Financial viability (Comment on the cash flow projection on a farm mode/unit)

Particulars	
a) Internal Rate of Return (IRR)	
b) Benefit Cost Ratio (BCR)	
c) Net Present Worth (NPW)	

v) Financial position of the borrower's (to be furnished in case of corporate bodies/partnership firms)

a. Profitability ratio

i. GP ratio

ii. NP ratio

b. Debt equity ratio

c. Whether Income tax & other obligations are paid upto date

d. Whether audit is upto date
(enclosed copies of audited financial statements for the last three years)

vi) Lending Terms

- i) Rate of interest
 - ii) Grace period
 - iii) Repayment period
 - iv) Nature of security
4. Infrastructural Facilities
- a) Availability of technical staff with bank/ implementing authority for monitoring
 - b) Details of
 - i) Technical guidance
 - ii) Training Facilities
 - iii) Govt. support extension support
 - c) Insurance type of policy
 - Periodicity
 - Rate of premium

Annexure- 1-I

Economic of Layer Farming - At a Glance

1.	Unit Size	
2.	System of rearing	
3.	District	
4.	Unit cost (Rs)	
5.	Bank Loan (Rs)	
6.	Margin Money (Rs)	
7.	Repayment period (Years)	
8.	Interest rate (%)	
9.	BCR at 15% DF	
10.	NPW at 15% DF (Rs)	
11.	IRR (%)	

Annexure 1-II

Economic of Layers Farming - Investment Plan

SNo.	Description	Main Points	Physical Unit	Unit Investment (Rs/Unit)	Total Investment
1.	Shed and other constructions A. Brooder cum grower shed B. Layer Shed C. Store Room				
2.	Watering system (Moter Pump pipeline etc.)				

	Grower , Layer House				
4.	Investment for first 3 batches recurring expenditure a. Cost chicks b. Cost of feed c. Medication, litter, labour etc				
5.	Total Financial Investment				
6.	Margin Money (30%)				
7.	Bank Loan (70%)				

Annexure 1-III

Economic of Layer Farming - Techno Economic Parameters

1.	No of egg laying birds (Layers)	
2.	Relating period (weeks) Brooding cum Growing	
3.	No of batches	
4.	Space requirement per bird (sft) Brooding cum Growing Laying Period	
5.	Cost of construction of sheds (Rs/Sqft)	
6.	Store room area to be constructed (Sqft)	
7.	Cost of construction of store room(Rs/Bird)	
8.	Cost of equipments and other requirements (Rs/Bird) Brooding , Growing and Cages	
9.	Mortality Percentage (%)	
10.	Cost of DOCs (Rs/Chick)	
11.	Supply of free chicks (%)	
12.	Extra Purchased (%)	
13.	Feed requirement (kg/bird) Brooding stage, growing stage Laying Stage	
14.	Feed cost (Rs/kg) Chicks/Grower Mash Layer Mash	
15.	Expenditure on labour (Rs/month)	
16.	Over heads cost (Cost of medicines, vaccine, Insurance litter etc) (Rs/bird) Brooding , growing stage Laying Stage	
17.	Egg Production	
18.	Price of Egg (Rs/Egg)	
19.	Body weight of Culled birds (kg)	
20.	Sale price of Culled birds (Rs/bird)	
21.	Income from manure (Rs/bird)	
22.	No of gunny bag (per ton of feed)	
23.	Income from gunny bags (Rs/bag)	
24.	Depreciation on sheds (%)	
25.	Depreciation on equipment (%)	
26.	Margin Money (%)	
27.	Interest rate (%)	
28.	Repayment period (years)	
29.	Grace period (years)	
30.	Construction period (months)	
31.	Best period for sheds (months)	

	Brooder , grower stage Laying Period	
--	---	--

Name and address of the entrepreneur.....

Contact number and Email ID

Signature of Entrepreneur.....

Department of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow.

Uttar Pradesh Poultry Policy 2022

(शासनादेश संख्या-2254 / सैतीस-2- 2022-1(45) / 2012टी0सी0-(ए)क0सं0-1659381
दिनांक 07 नवम्बर-2022)

**Format For Submission of Scheme
BROILER PARENT FARM (10000 BIRDS)**

1. Name of Firm/Entrepreneuers (All Partners)
2. Residencial Address (All Partners)
3. Contract Number and Email ID
4. Aadhar Number
5. Ration Card Number/Family ID
6. Address of the Proposed Farm
(With Longitude and Latitude)
7. Name of the sponsoring Bank
8. Address of the controlling office
sponsoring the scheme
9. Nature and objectives of
the proposed scheme
10. Details of proposed investments

S.No.	Investment	Type of Unit

11. Names of the financing Bank and branch

S.No.	Name of Branch	District

12. Status of beneficiary
(Individual/Partnership Firm/Others)

13. Details of borrower's profile

(a)	Canability	District
-----	------------	----------

(b)	Experience	
(c)	Financial Soundness	
(d)	Technical/Other Special Qualifications	
(e)	Technical/Managerial Staff and adequacy thereof	

Separate paper can be used for submitting information where ever necessary

PROJECT REPORT BROILER PARENT FARM

14. Technical Aspects

a) Detail of Land

i)	Location details of the project	
ii)	Name of Village, Plot No. & Total Area of land and its cost	
iii)	Site Map	
iv)	Particulars of land development, fencing gates etc	

b) Civil Structures

	Detailed cost estimates along with measurements of various civil structures - Sheds for Birds - Store room - Dressing room - Office room - Quarters for staff - Others	
--	--	--

c) Equipment/Plant and Machinery

i)	Feeders	
ii)	Waterers	
iii)	Generator	
iv)	Feed grinder and mixer	
v)	Debeaker	
vi)	Vaccinator	
vii)	Fridge/Deep Freezer	
viii)	Dressing equipment if necessary	
ix)	Others	

d) Housing

i)	Type of housing	Deep Litter/California Cages
ii)	Area required (Sqft/bird)	

e) Birds

i)	Location details of the project	
ii)	No of birds to be purchased	
iii)	Source of purchase cost of bird	
iv)	Rs. per bird	
v)	Vaccination of purchased birds	
vi)	Proposed programme of replacement	

f) Production Parameters

i)	Standard Chick Production per female	
ii)	Feed efficiency (kg of feed/No of eggs produced)	
iii)	Mortality	

g) Bird replacement schedule/Chart

--	--	--

h) Feeding

i)	Source of availability	Purchased of own feed manufacturing
ii)	If Purchased d) Place of purchase e) Brand f) Cost (Rs. / kg) - Chick - Grower - Breeder	
iii)	If Manufactured on farm a) capacity of feed grinder and mixer b) source raw material c) Feed Formula d) Cost of Production (Rs. /kg) - Chick -Grower -Breeder	
iv)	Requirement (kg per bird) - Chick - Grower - Breeder	

i) Veterinary Aid

i)	Source	
ii)	Location	
iii)	Distance (km)	
iv)	Availability of staff	
v)	Type of facilities available	
vi)	If own arrangements are made d) Employment a veterinary/doctor/stockman/consultant e) Periodicity of visit f) Amount Paid (Rs)	
vii)	Expenditure per bird per cycle (Rs)	

j) Electricity

i)	Source	SEB/Other
ii)	Approval from electricity board	
iii)	Connected load	
iv)	Problems of power failure	
v)	Arrangements for generator	

k) Water

i)	Source	
ii)	Quality of water	
iii)	Availability of sufficient quantity for drinking and cleaning	
iv)	If investment has to be made type of struture, design and cost	

l) Marketing of Eggs

i)	Source of sale	
ii)	Place of disposal	
iii)	Distance (km)	

iv)	Basis of payment (Number or weight)	
iv)	Price released - (Rs./kg/egg)	
v)	Periodicity of payment	

m) Marketing of Other products

i)	Manure - Qty/bird price per unit (Rs/Qt)	
ii)	Empty gunny bags Number and cost/bag	

n) Beneficiary experience

o) Comments on technical feasibility

p) Government restrictions if any

3. Financial Aspects

Unit Cost

SNo.	Name of Investment	Physical Unit and specification	Unit cost with component wise breakup (Rs)

vii) Year wise physical & financial programme

Year	Investment	Physical unit	Unit Cost (Rs)	Total outlay (Rs)	Margin Money (Rs)	Bank loan (Rs)
1	2	3	4	5	6	7

viii) Financial viability (Comment on the cash flow projection on a farm mode/unit)

Particulars	
d) Internal Rate of Return (IRR)	
e) Benefit Cost Ratio (BCR)	
f) Net Present Worth (NPW)	

ix) Financial position of the borrower's (to be furnished in case of corporate bodies/partnership firms)

e. Profitability ratio

iii. GP ratio

iv. NP ratio

f. Debt equity ratio

g. Whether Income tax & other obligations are paid upto date

h. Whether audit is upto date
(enclosed copies of audited financial statements for the last three years)

x) Lending Terms

- v) Rate of interest
- vi) Grace period
- vii) Repayment period
- viii) Nature security

4. Infrastructural Facilities
- a) Availability of technical staff with bank/ implementing authority for monitoring
 - b) Details of
 - i) Technical guidance
 - ii) Training Facilities
 - iii) Govt. support extension support
 - c) Insurance type of policy
 - Periodicity
 - Rate of premium

Annexure- 2-I

Economic of Parent Broiler Farming - At a Glance

1.	Unit Size	
2.	System of rearing	
3.	District	
4.	Unit cost (Rs)	
5.	Bank Loan (Rs)	
6.	Margin Money (Rs)	
7.	Repayment period (Years)	
8.	Interest rate (%)	
9.	BCR at 15% DF	
10.	NPW at 15% DF (Rs)	
11.	IRR (%)	

Annexure 2-II

Economic of Broiler Parent Farming - Investment Plan

SNo.	Description	Main Points	Physical Unit	Unit Investment (Rs/Unit)	Total Investment
1.	Shed and other constructions A. Brooder cum grower shed B. Layer Shed C. Store Room				
2.	Watering system (Moter, Pump pipeline)				

	cum Growing House Laying House				
4.	Investment for first 3 batches recurring expenditure a. Cost of chicks b. Cost of feed c. Medication, litter, labour etc				
5.	Total Financial Investment				
6.	Margin Money (30%)				
7.	Bank Loan (70%)				

Annexure 2-III

Economic of Broiler Parent Farming - Techno Economic Parameters

1.	No of egg laying birds (Parent Female)	
2.	Relating period (weeks) Brooding cum growing	
3.	No of batches	
4.	Space requirement per bird (sqft) Brooding cum growing Laying Period	
5.	Cost of construction of sheds (Rs/Sqft)	
6.	Store room construction (Sqft)	
7.	Cost of construction of store room(Rs/Bird)	
8.	Cost of equipments and other requirements (Rs/Bird) brooding cum growing house Cages	
9.	Mortality Percentage (%)	
10.	Cost of DOCs (Rs/Chick)	
11.	Supply of free chicks (%)	
12.	Extra Purchased (%)	
13.	Feed requirement (kg/bird) Brooding cum growing stage Laying Stage	
14.	Feed cost (Rs/kg) Chicks/Grower Mash Breeder Mash	
15.	Expenditure on labour (Rs/month) (one labourer)	
16.	Over heads cost (Cost of medicines, vaccine, Insurance litter etc) (Rs/bird) Brooding cum growing stage Laying Stage	
17.	Chick Production	
18.	Price of Chicks (Rs/Chick)	
19.	Body weight of Culled birds (kg)	
20.	Sale price of Culled birds (Rs/bird)	
21.	Income from manure (Rs/bird)	
22.	No of gunny bag (per ton of feed)	
23.	Income from gunny bags (Rs/bag)	
24.	Depreciation on sheds (%)	
25.	Depreciation on equipment (%)	
26.	Margin Money (%)	
27.	Interest rate (%)	
28.	Repayment period (years)	

29	Grace period (years)	
30	Construction period (months)	
31	Rest period for sheds (weeks) Brooder cum grower stage Layer Period	

Name and address of the entrepreneur.....

Contact number and Email ID

Signature of Entrepreneur.....

ANNEXURE-3

INFORMATION FROM THE CONTROLLING OFFICE OF THE BANK IN RESPECT OF BANK LOAN SANCTION UNDER POULTRY POLICY-2022 UPGOVT. DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

(To be submitted to the Director, Administration and Development/Chief Veterinary Officer)

NAME OF THE BANK

DATE:

TOTAL AMOUNT OF CURRENT CLAIM:

(Claim Period From to)

Details of Current Claim:

(Rs.)

Particulars	
Name and address of the Entrepreneur	
Adhar no of the entrepreneur	
Ration Card No/Family ID	
Location of the Project (indicate the district)	
Whether SC/ST/Women	
Bank/Branch address (indicate district also) With IFSC Code	
Loan A/C No.	
Date of sanction	
Purpose of Loan	
Unit size	
Total Financial Outlay	
Margin	
Bank Loan	
Repayment prescribed	
Rate of Interest	
Date of release of 1st installment of loan	
Amount released (Rs)	
Interest Subsidy Claimed	
Any other information relevant to the project	

1. We undertake having complied with all the instructions contained in शासनादेश संख्या-2254 / सैतीस-2-2022-1(45) / 2012टी0सी0-(ए)क0सं0-1659381 दिनांक 07 नवम्बर-2022 regarding operational guidelines of the scheme while sanctioning above proposals.
2. We request you to release an amount of Rs. (Rupees) as Interest Subsidy in respect of the above entrepreneurs.

Place :

Date :

Seal and signature of the

Branch Manager (Financing Bank)

Signature and seal Authorized signatory
Controlling Office of the Bank

Format for Utilization Certificate – Interest Subsidy

(For the use of financing bank to be submitted to the Director, Administration and Development/Chief Veterinary Officer
U.P. Poultry Policy-2022

1. Name address of the beneficiary and location of the project
2. Name of the financing bank
3. Name & address of the financing branch
4. Date of sanction of loan by Bank
5. Date of field monitoring of the unit by the Bank
6. Date of completion of the unit
7. (i) Total financial outlay Rs.
(ii) Margin Money Rs.
(iii) Bank Loan Rs.
(iv) Interest Subsidy received from Director, A.H.D. Date of receipt Amount (Rs) Date of credit to the "Subsidy Reserve Fund A/C" of the borrower
8. Brief description of assets created
9. Rate of interest charged by the financial Bank % p.a.
10. This is to certify that the full amount of interest subsidy received in respect of the above project has been fully utilized and adjusted in the books of account under the sanctioned terms and conditions of the project within the overall guidelines of the scheme.

Place

Date

Seal and signature of the Branch Manager
(Financing Bank)

**उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2022 अन्तर्गत स्थापित होने वाली कामर्शियल लेयर एवं
ब्रायलर पैरेन्ट की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप**

1.	निरीक्षण का दिनांक	
2.	फर्म एवं उद्यमी का नाम एवं निवास (मोबाइल एवं ईमेल सहित)	
3.	प्रस्तावित भूमि का खाता खतौनी क्रम संख्या	
4.	प्रस्तावित भूमि की गाटा/खसरा संख्या	
5.	प्रस्तावित भूमि के ग्राम का नाम	
6.	प्रस्तावित भूमि के ब्लाक का नाम	
7.	प्रस्तावित भूमि के तहसील का नाम	
8.	प्रस्तावित भूमि पर फर्म/उद्यमी के हिस्से का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
9.	प्रस्तावित स्थल वर्तमान में किस कार्य में उपयोग किया जा रहा है?	
10.	यदि प्रस्तावित भूमि की खतौनी में कई हिस्सेदार हैं तो तहसील से निर्गत उद्यमी का हिस्सा प्रमाण की प्रति संलग्न करें।	
11.	राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा ऋण दिये जाने हेतु सहमति पत्र संलग्न है? हाँ/नहीं	
12.	क्या प्रस्तावित स्थल की परिधि (बाउण्ड्री) से मानव आबादी की दूरी 500 मीटर से अधिक है? हाँ/नहीं	
13.	क्या प्रस्तावित स्थल से नदी, नहर, झील की दूरी 200 मीटर से अधिक है? हाँ/नहीं	
14.	क्या प्रस्तावित स्थल से पानी के मुख्य स्रोत जैसे-बांध, जलाशय इत्यादि की 500 मीटर से अधिक दूरी है? हाँ/नहीं	
15.	क्या प्रस्तावित स्थल की पीने के पानी के मुख्य स्रोत जैसे-कुआँ, पानी की टंकी इत्यादि से 100 मीटर से अधिक दूरी है? हाँ/नहीं	
16.	क्या प्रस्तावित स्थल की किसी अन्य कुक्कुट प्रक्षेत्र, डेयरी फार्म, एवं अन्य पशुधन प्रक्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी है? हाँ/नहीं	
17.	क्या प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 200 मीटर से अधिक है? हाँ/नहीं	
18.	क्या प्रस्तावित स्थल से प्रादेशिक राजमार्ग की दूरी 100 मीटर से अधिक है? हाँ/नहीं	
19.	क्या प्रस्तावित स्थल की ग्रामीण मार्ग/सड़क मार्ग/पंगडण्डी से 15 मीटर से अधिक की दूरी है? हाँ/नहीं	
20.	प्रस्तावित भूमि बाढ़ग्रस्त/जलप्लावित क्षेत्र में तो नहीं है?	
21.	क्या प्रस्तावित स्थल कुक्कुट फार्म की स्थापना हेतु उपयुक्त है? हाँ/नहीं	
22.	प्रस्तावित भूमि का अक्षांश एवं देशांतर (Latitude and Longitude)	
23.	क्या फर्म/उद्यमी को उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-2013 अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है? यदि हाँ तो उसका विवरण निम्नवत अंकित करें:- अ-लेटर ऑफ कम्फर्ट संख्या एवं दिनांक ब-इकाई का प्रकार (30000 का०ले०/10000 का०ले०/10000 ब्रा०पै०) स-लेटर ऑफ कम्फर्ट के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों की संख्या	निर्गत समस्त एल०ओ०सी० की छायाप्रति संलग्न करें।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
जनपद-